<u>**उद्यम पंजीकरण प्राप्तिसँ लाभ**</u>

भारत सरकारक सूक्ष्म, लघु आ सूक्ष्म, लघु आ' मध्यम उद्योग मध्यम उद्योग कोटिक मंत्रालय भारतीय गजटक अनुसार, असाधारण, भाग–2, खण्ड–3, उपखण्ड–2, तिथि 26 जून, 2020 सूचनार्थ एक समेकित मानदण्ड निर्धारित करैत अछि जे निवेश एवं निश्चित समयावधिक बीच कुल बिक्री, यथा–सूक्ष्म, लघु आ' मध्यम उद्योगक वर्गीकरण, जे 1 जुलाइ, 2020 सँ कार्यान्वित करैछ।

सूक्ष्म, लघु आ' मध्यम उद्योग (MSME) क नव परिभाषा आ' व्यवसायक कार्यप्रणाली लेल स्थायी पंजीकरण, जेना 'उद्यम पंजीकरण' क विशेषताक जानकारी अपेक्षित।

मुख्य विशेषता–

- कोनहुँ व्यक्ति उद्यम पंजीकरण लेल आवेदन कय सकैत छयि। मुदा हिनका निर्धारित पोर्टल https://udyamregistration.gov.in/Government-India/Ministry -MSME-registration.htm क माध्यमे पंजीकृत होएब आवश्यक।
- उद्यम पंजीकरणक प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल संकेत पर केन्द्रित आ' कागज रहित होएत। कोनहुँ प्रकारक दस्तावेज संलग्न करबाक आवश्यकता नहि रहत।
- पंजीकरण प्रकिया पूर्णतः निःशुल्क छैक। मूल्य वा शुल्क दातब्य नहि रहत।
- एक ई–प्रमाणपत्र 'उद्यम प्रजीकरण प्रमाणपत्र' निर्गत कएल जाएत, 'आनॅ लाइन पंजीकरण प्रकिया संपन्न भेलापर।
- एहि प्रमाण पत्र में एक गतिशील क्यू आर कोड पोर्टलक वेब पेजपर रहत आ' उद्योगक प्रसंग सविस्तार सूचना देत।
- जे व्यक्ति जानि बूझिकेँ अनुचित विचार अथवा स्वघोषणाक सत्यापनक विश्लेषणमे भ्रामक आ' अंकक प्रस्तुतिमे उद्योग पंजीकरण अथवा अद्यतन सूचनाक प्रक्रियामे त्रुटि करताह, धारा 27 क अधीन दण्डित भ सकैत छथि।
- ऑनलाइन प्रक्रिया आयकरक संग पूर्णतः एकीकृत रहत तथा वस्तु एवं सेवाकर पहचान नम्बर (GSTIN) प्रणाली, निवश आ' निश्चित समयावधिक बीच कुल बिक्रीक स्वाभाविक प्रक्रिया सरकारक डाटाबेस पर आधारित रहत। निर्यातक टर्न ऑवरक गणनामे परिगणित नहि होएत।
- जे व्यक्ति ईएम–2 (EM-II) अथवा यूएएम (UAM) सँ पंजीकरण कराय चुकल छथि अथवा कोनहुँ अन्य पंजीकरण, जे MSME मंत्रालयसँ अधिकृत अछि, ताहि व्यक्तिकेँ 31.03.2021 धरि पुनः पंजीकृत होएब आवश्यक रहत।
- कोनहुँ उद्योग केन्द्र एक उद्यम पंजीकरणसँ बेसीकेँ सूचीबद्ध नहि कराय सकैत छथि। कोनहुँ गतिविधिक प्रक्रिया–निर्माण वा सेवा अथवा दुनू विशेष रूपेँ व्यक्त रहत अथवा एकहि पंजीकरणमें जोड़ल जाएत।

पंजीकरण लेल अपेक्षित–

- मात्र आधार नम्बर पंजीकरण लेल पर्याप्त अछि।

- PAN आ' GST नम्बर अत्यावश्यक अछि, 01.04.2021 सँ।

पंजीकरणसँ लाभ –

- ई स्थायी पंजीकरण छैक, जकर मूल पहचान नम्बर एक उद्योग लेल रहत।
- MSME पंजीकरण कागज रहित आ' स्वघोषणा पर आधारित छैक।
- पंजीकरणक नवीनीकरण अपेक्षित नहि रहत।
- उद्योगक गतिविधिक संख्या वा सेवा अथवा दुनू व्यक्त रहत, एकहि पंजीकरणमे संगहि होएत।
- उद्यम पंजीकरण, उद्योग GeM (Government e-Market Place, a portal for G to B) एवं SAMADHAN पोर्टल (a portal to address issues relating to delay in payments) आ' एकर संग MSME स्वाभाविक रूपें TReDS प्लेटफार्म (the invoices of receivables are traded on this platform) तीन उपलब्ध मंच जेना 1. www.invoicemart.com, 2. www.mlxchange.com, 3. www. Rxil.in) पर केन्द्रित रहत।
- उद्यम पंजीकरण मंत्रालयक MSME सँ सम्बद्ध लाभकारी योजना, जेना क्रेडिट गारंटी योजना, सार्वजनिक खरीद नीति, संगहि विलम्बित भुगतान लेल सरकारी निविदा एवं सुरक्षाक प्रावधान रहत।
- प्राथमिकता क्षेत्रक लेल बैंक द्वारा विशेष लाभकारी होएत।

ऋण प्राप्तिक प्राथमिक क्षेत्र –

ऋण वा उधार देबाक प्राथमिकता (PSL) लेल भारतीय रिजर्व बैंकक दिशा निर्देश प्राप्त छैक जे पत्रांक RBI/FIDD/2020-21/72 Master Directions FIDD.CO Plan. BC.5/04.09.01/2020-21 dated September 04, 2020 द्वारा क्रमशः निम्नलिखित कोटिमे प्रमुखता देत –(1)कृषि, (2) सूक्ष्म, लघु आ' मध्यम उद्योग, (3) निर्यात ऋण, (4) शिक्षा, (5) गृह, (6) सामाजिक संरचना, (7) नवीकरणीय उर्जा, (8) अन्य, जे MSME ऋण प्राप्तिक प्राथमिक क्षेत्रमे छैक ; गजट सूचना संख्या S.O. 2119(E) dated June 26, 2020 read with circular RBI/2020-2021/10 FIDD.MSME & NFS BC. No.3/06.02.31,2020-21 read with FIDD.MSME& NFS.BC No. 4/06.02.31/2020-21 dated July2, 2020, August 21, 2020 क्रमशः सूक्ष्म, लघु आ' मध्यम उद्योगक क्रेडिट प्रवाह समय समय पर अद्यतन सेहो अपेक्षित, तत्काल MSME उद्योग आ' उत्पाद लेल वस्तुक निर्यातमे सहायक, कार्यप्रणाली, संबंधित औद्योगिक, विशेषतः प्रथम सूचीक उद्योग (विकास आ' नियमन) धारा 1951 आ' प्रदान करबामे लागल वा कोनहुं सेवाक प्रतिपादन लेल सभ बैंकक ऋण MSME क सम्पुष्टि भरतीय रिजर्व बैंक (RBI) क दिशा निर्देशक पालन कय पूर्वमे तकर स्पष्टीकरण देब आवश्यक।

-----------000-----------